न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 209/2025

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

01- कमलेश पुत्र जमनालाल, निवासी बरड़ावदा,

02- हरिसिंह पुत्र भागचंद, निवासी पचोला,

03- रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ, निवासी बोरदा, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्तगण....

अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 3(5) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 13-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 132, 3(5) का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11-03-2025 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26-12-2024 को फरियादी दिनेश कुमार ने उपस्थित थाना अकलेरा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 26.12.2024 को वह राजकार्य से अकलेरा था। वह तामील करवाने अकलेरा जा रहा था तो उसे उसके मैठून का उसका दोस्त बीरम पुत्र दानमल मीणा एनएच 52 से पहले बोरदा गांव के पास मैन रोड़ पर मिला जिससे बातचीत कर रहा था तो वहां एनएच 52 रोड़ के पास ही पटरी के पास शराब के ठेके से कमलेश मीणा बरड़ावदा व रामस्वरूप बोरदा का व दो अन्य व्यक्ति आए और उसे देखकर उसके पास आए। कमलेश को वह पहले से जानता है तो उसने कमलेश से उसके हाल चाल पूछे तो कमलेश ने शराब पी रखी थी जो बिना बात ही उसके साथ गाली गलौच करने लगा कि तूने मेरे जिगरी दोस्त ममुकेश मीणा मैठून को मुखबिरी से झालावाड़ फायरिंग वाले केस में तूने ही पकड़वाया है व पट्टे भी दिलवाए हैं और मां बहन की गालियां देने लगा। उसने उसको कहा कि तू शराब के नशे में जा याद बिना बात ही क्यों गाली गलौच कर रहा है। फिर भी कमलेश नहीं माना मोटरसाईकिल से उतर कर कमलेश व रामस्वरूप बोरदा व अन्य दो साथी ने उसके साथ धक्का मुक्की कर नीचे गिरा दिया तथा लात घुसों से उसके साथ मारपीट की और उसके पास अकलेरा हरनावदा व घाटोली के सरकारी कागज थे जिनको भी उससे छिन लिया। उसके पास 3000 रूपए थे वो भी उसे नहीं मिले। कमलेश, रामस्वरूप के साथ दो अन्य व्यक्ति थे उनको वह नहीं जानता। वह उसके साथ मारपीट कर रहे थे तथा बार बार मुकेश मैठून का नाम ले

रहे थे। उसे अंदेशा है कि यह मारपीट मुकेश मैठून के कहने पर हुई है उसके साथ बीरम ना होता तो यह उसे जान से मार देते। इन लोगों की मारपीट से उसके कमर, कंधे पर सीने पर सूजन व दांहिने पंजे में चोटे आई है।,इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 600/2024, अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 3(5) भा.न्या.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 121(1), 132, 3(5) भा.न्या.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 121(1), 132, 3(5) भा.न्या.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 गोपाल सिंह, पी.डब्ल्यू. 02 राकेश, पी.डब्ल्यू. 03 डॉ. एमएस खान, पी.डब्ल्यू. 04 दिनेश को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 5 तक व पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं बनाया गया है एवं सभी गवाहान परिवार जन होकर हितबद्ध गवाहान है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 26-12-2024 को किसी समय मौजा बोरदा गांव के पास टोल से पहले एनएच 52 पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी दिनेश कुमार मीणा, कानि. थाना कोतवाली झालावाड़, जो कि वक्त घटना अपने लोक कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, को उसके कर्तव्य निर्वहन से निवारित करने/भयोपरत करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर

स्वेच्छया उपहाति कारित कर उसके विरूद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 121(1), 132, 3(5) भा.न्या.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हां तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि दिनांक 26.12.2024 को वह राजकार्य से अकलेरा था। वह तामील करवाने अकलेरा जा रहा था तो उसे उसके मैठून का उसका दोस्त बीरम पुत्र दानमल मीणा एनएच 52 से पहले बोरदा गांव के पास मैन रोड़ पर मिला जिससे बातचीत कर रहा था तो वहां एनएच 52 रोड़ के पास ही पटरी के पास शराब के ठेके से कमलेश मीणा बरड़ावदा व रामस्वरूप बोरदा का व दो अन्य व्यक्ति आए और उसे देखकर उसके पास आए। कमलेश को वह पहले से जानता है तो उसने कमलेश से उसके हाल चाल पूछे तो कमलेश ने शराब पी रखी थी जो बिना बात ही उसके साथ गाली गलौच करने लगा कि तूने मेरे जिगरी दोस्त ममुकेश मीणा मैठून को मुखबिरी से झालावाड़ फायरिंग वाले केस में तूने ही पकड़वाया है व पट्टे भी दिलवाए हैं और मां बहन की गालियां देने लगा। उसने उसको कहा कि तू शराब के नशे में जा याद बिना बात ही क्यों गाली गलौच कर रहा है। फिर भी कमलेश नहीं माना मोटरसाईकिल से उतर कर कमलेश व रामस्वरूप बोरदा व अन्य दो साथी ने उसके साथ धक्का मुक्की कर नीचे गिरा दिया तथा लात घुसों से उसके साथ मारपीट की और उसके पास अकलेरा हरनावदा व घाटोली के सरकारी कागज थे जिनको भी उससे छिन लिया। उसके पास 3000 रूपए थे वो भी उसे नहीं मिले। कमलेश, रामस्वरूप के साथ दो अन्य व्यक्ति थे उनको वह नहीं जानता। वह उसके साथ मारपीट कर रहे थे तथा बार बार मुकेश मैठून का नाम ले रहे थे। उसे अंदेशा है कि यह मारपीट मुकेश मैठून के कहने पर हुई है उसके साथ बीरम ना होता तो यह उसे जान से मार देते। इन लोगों की मारपीट से उसके कमर, कंधे पर सीने पर सूजन व दांहिने पंजे में चोटे आई है।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 4 गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें सर्वप्रथम गवाह प्रकरण का फरियादी दिनेश कुमार न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 04 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट एक दिन बाद दर्ज कराई थी। शराब का ठेका घटनास्थल से 100 फीट की दूरी पर था। प्रदर्श पी. 02 में मुकेश को फंसाने वाली बात लिखी हुई है किन्तु गोलू मीणा वाले केस में मुकेश को फंसाया गया ऐसी बात अंकित नहीं है। वह इस घटना में किसी अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। उसके इस घटना में साधारण प्रकृति की चोटें आई थी। वह घटना वाले दिन तामील कराने के लिए अकलेरा व हरनावदा आया था, तामील करवाने के बाद जो सम्मन वारण्ट उसके पास थे उनकी कॉपी उसने अनुसंधान के दौरान पेश नहीं की। प्रदर्श पी. 02 उसकी लेखनी है जिस पर तारीख की जगह ओवरराईटिंग हो रही है। उसने उसकी तहरीरी रिपोर्ट में घटना करने वाले

व्यक्ति का नाम कमलेश व रामस्वरूप लिखा है तीसरे का नाम उसे याद नहीं था। नक्शा मौका बनाते समय अनुसंधान अधिकारी ने आसपास के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए। घटना घटित होने के बाद वह अपने गांव चला गया था। उक्त गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई वारदात होती है तो उसे सबसे पहले थाने पर जाना चाहिए, उसके बाद घर आना चाहिए। उस रात को वह थाना अकलेरा पर रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया, अगले दिन वह झालावाड़ गया वहां पर वह घटना की जानकारी कोतवाली झालावाड़ को दी, उसके बाद वह थाना अकलेरा पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया था।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 डॉ. एमएस खान है जिसके द्वारा थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर प्रकरण के मजरूब दिनेश के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि चोट प्रतिवेदन परिपत्र पर वर्णित 1 से 4 तक चोटें किसी कठोर धरातल पर बलपूर्वक गिरने से आ सकती हैं तथा चोट नं. 5 किसी गरम वस्तु पर हाथ पड़ने या हाथ में आने से आना संभव है।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 01 गोपाल सिंह है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर एक दिन की देरी से दर्ज करवाई थी। उसने दौराने अनुसंधान फरियादी व मुल्जिमान की टावर लोकेशन निकालकर पत्रावली में पेश नहीं की थी। फरियादी ने राजकार्य में आने बाबत कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध थे, वह उसने दौराने अनुसंधान पेश नहीं किए। फरियादी ने उसे यह नहीं बताया कि वह राजकार्य से किन-किन लोगों की तामील लेकर आया था और किन-किन लोगों से मिला, इस बारे में उसे नहीं बताया।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 राकेश है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि वह जब घटनास्थल पर पहुंचा तो मुल्जिमान वहां से जा चुके थे। उसने मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा। दिनेश के लड़ाई झगड़ा शराब ठेके के सामने हुआ था। उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि शराब पी रखी थी इसी कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था। फरियादी दिनेश उनके गांव का है उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। उसका नाम दिनेश ने एफआईआर में लिखाया था। उसके सामने नक्शा मौका बनाने पुलिस नहीं गई थी। उसे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

16- इस प्रकार प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण गवाह पी.डब्ल्यू. 02 राकेश ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना कथन किया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि शराब पी रखी थी इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ था। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एवं फरियादी ने स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट थाने पर एक दिन देरी से दर्ज कराई थी। पत्रावली में यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि फरियादी के साथ घटना शराब ठेके के सामने हुई थी। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई भी स्वतंत्र गवाह पत्रावली में नहीं बनाए गए। फरियादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि घटना वाले दिन जब वह तामील कराने के लिए आया था, तामील करवाने के बाद कोई भी सम्मन वारण्ट दौराने अनुसंधान पेश नहीं किए गए। उक्त गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किय है कि उसके इस घटना में साधारण प्रकृति की चोटें आई थी। वह इस घटना में किसी अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। प्रकरण के चिकित्सा

अधिकारी ने सभी चोटें कठोर धरातल पर बलपूर्वक गिरने से आना बताया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि फरियादी ने राजकार्य से आने बाबत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए एवं उसने दौराने अनुसंधान फरियादी व मुल्जिमान की टावर लोकेशन निकालकर पत्रावली में पेश नहीं की गई जिससे यह साबित नहीं हो पाया है कि वक्त घटना फरियादी व मुल्जिमान एक ही जगह पर उपस्थित हो। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 26-12-2024 को किसी समय मौजा बोरदा गांव के पास टोल से पहले एनएच 52 पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी दिनेश कुमार मीणा, कानि. थाना कोतवाली झालावाड़, जो कि वक्त घटना अपने लोक कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, को उसके कर्तव्य निर्वहन से निवारित करने/भयोपरत करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहाति कारित कर उसके विरूद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्तगण धारा 121(1), 132, 3(5) भा.न्या.सं. के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

18- अतः अभियुक्तगण 01- कमलेश पुत्र जमनालाल, निवासी बरड़ावदा, 02- हरिसिंह पुत्र भागचंद, निवासी पचोला, 03- रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ, निवासी बोरदा, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 3(5) भा.न्या.सं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437क द.प्र.सं. के तहत 10,000-10,000/- के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

20- निर्णय आज दिनांक 13-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

Steno Gr. III
"Authenticate Document"

RAJARAM MEENA

Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.13 04:30:42 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।